IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 836 OF 2024

SARITA DWIVEDI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH. ...RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 29.11.2024 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.	1-4
2.	**ANNEXURE-1** Copy of the District Magistrate Letter No. 520/DLRC/2024 dated 13.12.2024, constituting a team for demarcation	5
3.	**ANNEXURE-2(colly)** The joint demarcation report along with then photographs prepared by the team, dated 23.12.2024	6-21

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR THE STATE OF UP.
F- 13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI- 110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 836 OF 2024

HIGH COURT ALLAHABAD AFFIDAVIT 2025 0001150

SARITA DWIVEDI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH. ...RESPONDENT

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 29.11.2024 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

I, **SURYA PAL GANGWAR**, aged about 46 years s/o Sh. N.L GANGWAR is presently posted as **DISTRICT MAGISTRATE, LUCKNOW, UTTAR PRADESH** having an office at **LUCKNOW, UTTAR PRADESH**.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Compliance report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. The deponent respectfully submits this report in compliance with the order dated 29.11.2024 passed in OA No. 836/2024, Sarita Dwivedi vs. State of Uttar Pradesh and Others, by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. The said order directed the deponent and the

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

Municipal Commissioner, Lucknow, to undertake the demarcation of land categorized as a pond and submit a compliance report.

4. The deponent, in adherence to the Tribunal's directions, issued Letter No. 520/DLRC/2024 dated 13.12.2024, constituting a team to demarcate Gata Nos. 1211 (0.019 hectare), 1250 (0.076 hectare), 1251 (0.025 hectare), 1653 (0.038 hectare), and 1681 (0.202 hectare), situated in Village Aurangabad Khalsa, Tehsil Sarojini Nagar, District Lucknow, which are recorded as pond land in the revenue records. Copy of the District Magistrate Letter No. 520/DLRC/2024 dated 13.12.2024, constituting a team for demarcation is being filed herewith and marked as **Annexure No.-1**

5. The deponent directed the Sub-Divisional Magistrate (SDM), Sarojini Nagar, to coordinate with the nominated team of revenue officials from the Tehsil level and representatives of the Municipal Corporation, Lucknow, under the chairmanship of the Tehsildar, Sarojini Nagar. Subsequently, through Letter No. 1548/R.K.-Measurement/2024 dated 24.12.2024 issued by the Office of the SDM, Sarojini Nagar, the date for the measurement and demarcation was fixed for 28.12.2024.

6. That on 28.12.2024, the joint team conducted a site visit to measure and demarcate the plots in question. The process involved the use of official

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

revenue maps, khasra records, and other relevant documents to verify and identify the boundaries of the plots. Physical markers were placed on the ground to delineate the area of the pond. Alongwith the Photographs of the demarcated site, taken during the site visit to provide visual evidence of the demarcation process and the current condition of the site. The joint demarcation report along with then photographs prepared by the team, dated 28.12.2024, is being filed herewith and marked as **Annexure No.-2(colly).**

7. The deponent respectfully forwards this report, along with the enclosed joint demarcation report and photographs, for consideration and appropriate measures.

8. That it is important to mention here that the efforts elaborated above clearly shows the intent complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and to work towards preservation and development of such projects which help in conservation, protection, preservation and safeguarding the environment for a more sustainable growth.

9. That the deponent state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

OATH COMMISSIONER ... COURT, ALLAHABAD

DEPONENT

VERIFICATION

OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this 6th day of January at 6.35 PM

OATH COMMISSIONER

2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER

Deponent identified by Sri R-K Mishra CS office Lucknow. Clerk

OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER

DEPONENT

OATH COMMISSIONER
High Court ALLAHABAD
Lucknow Bench 6/1/25

No. 0004150
Date 6/1/25

Annexure-1

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्याः 520 /डीएलआरसी/2024 दिनांक दिसम्बर, 13, 2024

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्या ओ0ए0 836/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित आदेश का कियात्मक अंश निम्नवत है–

"District Magistrate, Lucknow and Municipal Commissioner, Lucknow shall also take steps, in the meantime, for demarcation of land of pond and submit compliance report by next date."

2– उल्लेखनीय है कि मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत याचिका/आवेदन में मुख्यतया विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स ओमेक्स सिटी द्वारा जनपद लखनऊ में शहीद पथ, के पास औरंगाबाद खालसा और रमनिया एस्टेट नाम से विकसित की जा रही टाउनशिप के अंदर तालाब श्रेणी में दर्ज भूमियों क्रमशः 1211, 1250, 1251, 1653, 1681 के भू–भाग पर अवैध तरीके से भूखण्डों, पार्कों और सड़कों का निर्माण करके अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के तथ्य मा0अधिकरण के संज्ञान में लाये गये है।

3– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 836/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के समादर में तहसील सरोजनीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम औरंगाबाद खालसा स्थित राजस्व अभिलेखों में तालाब खाते में दर्ज भूमियाँ क्रमशः 1211/0.019हे0, 1250/0.076हे0, 1251/0.025हे0, 1653/0.038हे0, 1681/0.202हे0 पैमाईश संबंधी कार्यवाही हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी एवं टीम।
2. तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ की अध्यक्षता में तहसील स्तर से नामित राजस्व टीम।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक 08.01.2025 नियत है, ऐसी स्थिति में उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ उपरोक्तानुसार गठित टीम से समन्वय करके उपयुर्क्त उल्लिखित तालाब खाते में दर्ज भूमियों के सम्बन्ध में सीमाकंन आख्या संकलित कर एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
3. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

OATH COMMISSIONER High Court ALLAHABAD

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

Annexure-2

कार्यालय उप जिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ।

पत्र संख्या– 1554/र0का0/2024 दिनांक 31. दिसम्बर,2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के आदेश संख्या–520/डीएलआरसी/2024 दिनांक 13.12.2024 के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्या–ओ0ए0 836/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के समादर में राजस्व ग्राम औरंगाबाद खालसा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा संख्या–1211, 1250, 1251, 1653 व 1681 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब हेतु सुरक्षित दर्ज है, के चिन्हांकन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1548/र0का0–पैमा0/ 2024 दिनांक 24.12.2024 द्वारा दिनांक–28.12.2024 की तिथि नियत करते हुए तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व टीम गठित गठित की गयी।

तत्कम में तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा दिनांक–30.12.2024 को सीमांकन उपरान्त आख्या प्रस्तुत की गयी, जो इस पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

31/12/24

उपजिलाधिकारी,
सरोजनीनगर–लखनऊ।

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

महोदय,

आपके आदेश के क्रम में प्राप्त पत्रांक 1548 /र०का०-पेश०/2024 कार्यालय उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ दिनांकित 24/12/024 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन सं० OA/830/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29/11/024 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित आदेश का क्रियान्वयन अंश निम्नवत है-

" District Magistrate, Lucknow and Municipal Commissioner Lucknow shall also take steps in the meantime, for demarcation of land of Pond and submit compliance report by next date."

उक्त के क्रम में तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी तिथि दिनांक 08/01/2025 नियत है हेतु ग्राम-औरंगाबाद खालसा प० लखनऊ तह० सरोजनीनगर, लखनऊ में स्थित ओमेक्स सिटी टाउनशिप के अन्दर तालाब श्रेणी की भूमि गाटा सं० 1211/0.019, 1250/0.076, 1251/0.025 हे०, 1653/0.038 हे० व गाटा सं० 1681/0.202 हे० का सीमांकन नगर निगम, लखनऊ की टीम, राजस्व टीम व प्रतिवादी ओमेक्स लि० के प्रतिनिधि के समक्ष दि० 28/12/024 को किया गया। स्थल मेमो मय फोटोग्राफ की प्रति संलग्न है। गाटा सं० 1211/0.013 हे० स्थानीय लोगों द्वारा छठ पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः महोदय आगामी कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक ÷ उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)
30/12/024
लेखपाल औरंगाबाद खालसा

(हस्ताक्षर)
30-12-2024

(हस्ताक्षर)
30/12/2024

(हस्ताक्षर)
M.T 30/12/24

OATH COMMISSIONER
Court, ALLAHABAD

Typed Copy

महोदय,

आपके आदेश के कम में प्राप्त पत्रांक 1548 / र0का0–पैमा0 / 2024 कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ दिनांकित 24.12.2024 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्याः ओ0ए / 836 / 2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित आदेश का कियात्मक अंश निम्नवत् है–

"District Magistrate, Lucknow and Municipal Commissioner, Lucknow shall also take steps, in the meantime, for demarcation of land of pond and submit compliance report by next date."

उक्त के कम में तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 08.01.2025 नियत है हेतु ग्राम–औरंगाबाद खालसा पर0 लखनऊ तह0 सरोजनीनगर लखनऊ में स्थित ओमेक्स सिटी टाउनशिप के अन्दर तालाब श्रेणी की भूमि गाटा संख्याः 1211 / 0.019, 1250 / 0.076, 1251 / 0.025हे0, 1653 / 0.038हे0 व गाटा संख्याः 1681 / 0.202हे0 का सीमांकन नगर निगम, लखनऊ की टीम, राजस्व टीम व प्रतिवादी ओमेक्स लि0 के प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 28.12.2024 को किया गया। स्थल मेमो मय फोटोग्राफ की प्रति संलग्न है। गाटा संख्याः 1211 / 0.013हे0 स्थानीय लोगों द्वारा छठ पूजा स्थल के रूप में उपयेाग में लाया जा रहा है।

अतः महोदय अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर अपठनीय) **(हस्ताक्षर अपठनीय)** **(हस्ताक्षर अपठनीय)**

(हस्ताक्षर अपठनीय)

OATH COMMISSIONER
सत्यमेव जयते
High Court, ALLAHABAD

~~स्थल रिपोर्ट~~

आज दि० 28/12/024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन सं० OA 836/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दि० 29/11/024 व कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र सं० 520/DLRC/2024 दि० 13/12/024 के क्रम में राजस्व ग्राम औरंगाबाद खालसा की गाटा सं० 1211/0.019, 1250/0.076, 1251/0.025, 1653/0.038, 1681/0.202 हे० जो तालाब दर्ज भूमि के सीमांकन हेतु पारित आदेश के क्रम में कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर के पत्रांक 1548/एसका०-सीमा०/2024 दि० 24/12/024 के क्रम में मौके पर नगर निगम की टीम व राजस्व टीम द्वारा प्रश्नगत गाटों का सीमांकन प्रतिवादी Omaxe Ltd. की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित व्यक्तियों साथ हस्ताक्षर बनाये गये।

28/12/024

28/12/24.

28/12/2024

28/12/2024

28/12/24

28-12-2024

Naveen Singh
28/12/24

Kuldeep
28-12-24

SANJAY

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

Typed Copy

स्थल मेमो

आज दिनांक 28.12.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्याः ए0ओ0 836/2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 व कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्याः 520/डी0एल.आर.सी./2024, दिनांक 13.12.2024 के कम में राजस्व ग्राम औरंगाबाद खालसा की गाटा संख्याः 1211/0.019, 1250/0.076, 1251/0.025, 1653/0.038, 1681/0.202हे0 जो तालाब दर्ज भूमि के सीमांकन हेतु पारित आदेश के कम में कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर के पत्रांक 1548/र0का0–पैमा/2024 दिनांक 24.12.2024 के कम में मौके पर नगर निगम की टीम व राजस्व टीम द्वारा प्रश्नगत गाटों का सीमांकन प्रतिवादी ओमेक्स लि0 की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये।

(हस्ताक्षर अपठनीय) (हस्ताक्षर अपठनीय) (हस्ताक्षर अपठनीय)

(हस्ताक्षर अपठनीय) (हस्ताक्षर अपठनीय) (हस्ताक्षर अपठनीय)

COMMISSIONER ... Court, ALLAHABAD

स्थल सीमांकन दि० 28/12/024

गाटा सं० 1653, 1681

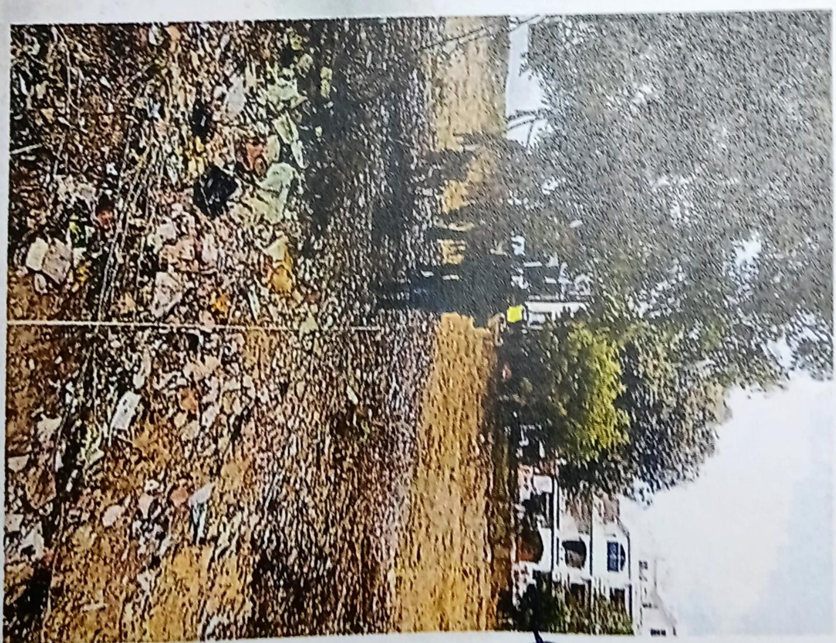

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN

सीमांकन दि० 28/12/2024

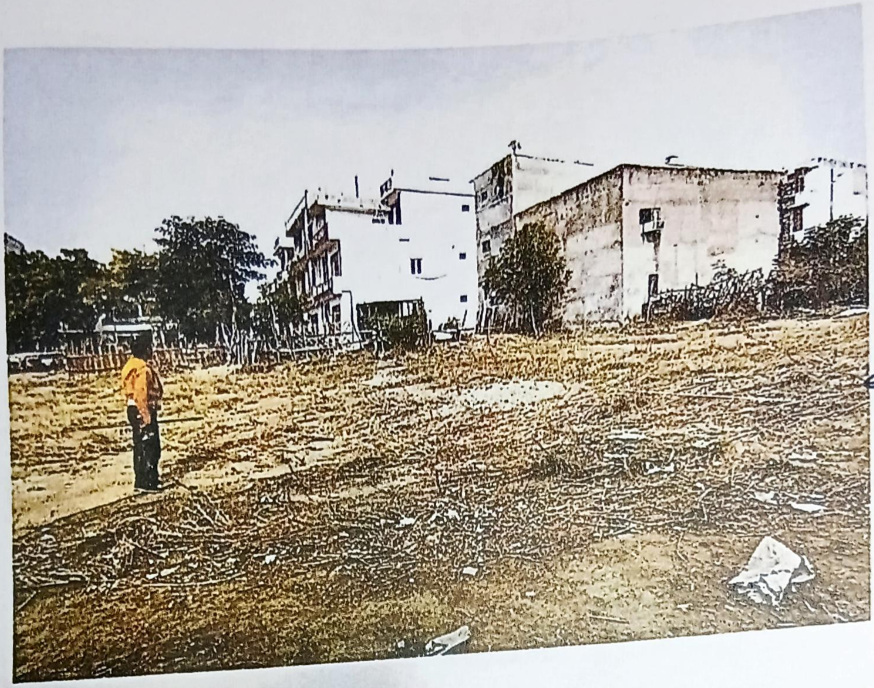

गाटा सं. 1653 व 1681

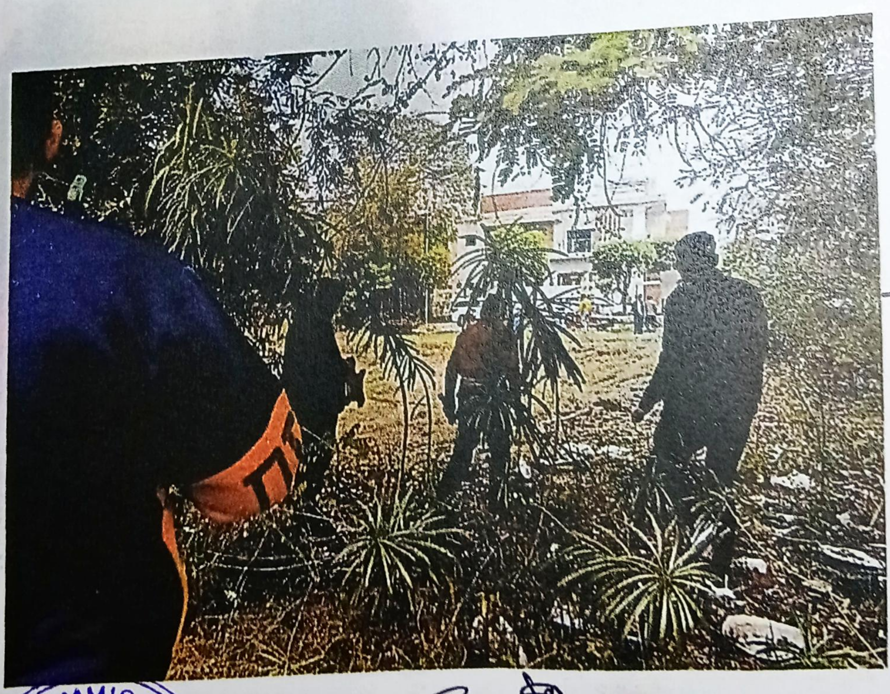

→ गाटा सं. 1251

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scann

सीमांकन दि० 28/12/24

गाटा सं० 1653, 1681

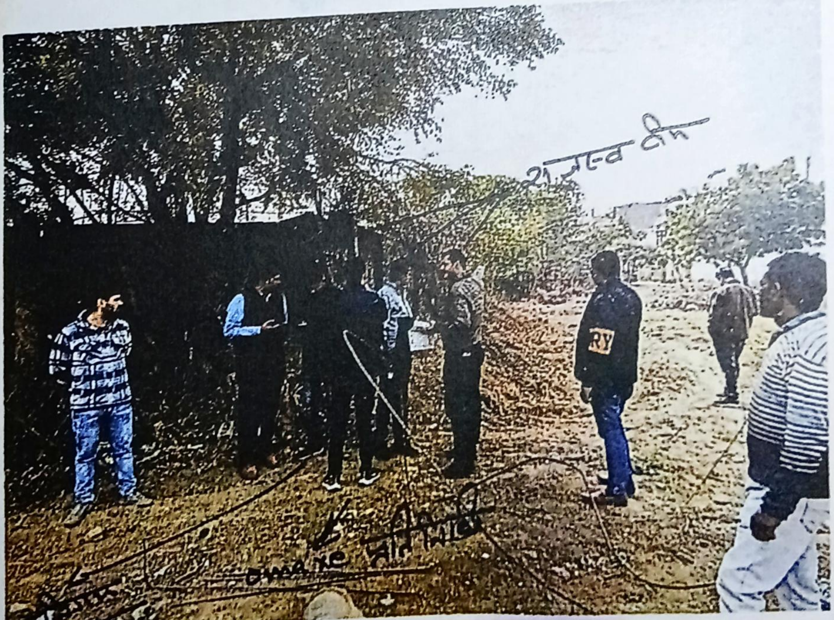

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

Scanned with OKEN Scanner

सीमांकन दि 28/12/024

गाटा सं० 1251, 1250

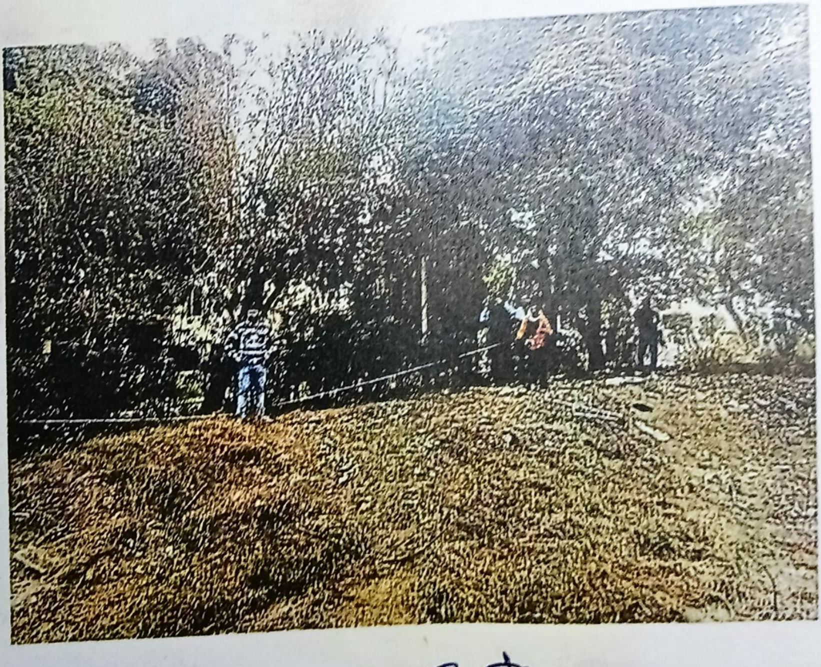

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

Scanned with OKEN S

सीमांकन दि 28/12/024

Scanned with OKEN Scann

सीमांकन दि० 28/12/2024

गाटा सं० 1211/0.013 हे०

→ मौके पर उक्त भूमि का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा छठ पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

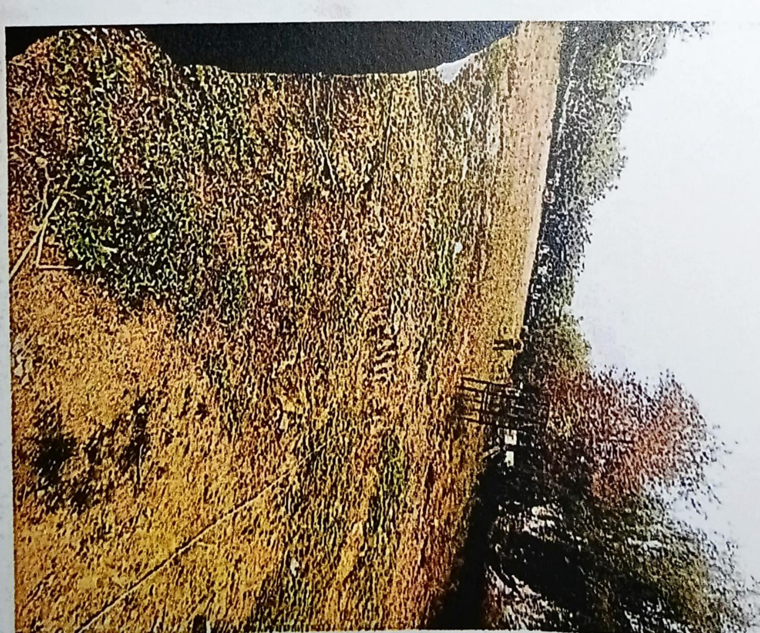

→ गाटा सं० 1250

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

Scanned with OKEN Scanner

सीमांकन दि० 28/12/2024

COMMISSIONER
ALLAHABAD

Scanned with OKEN Scanner

OATH COMM... NER
HIGH COURT, ALLAHABAD

Scanned with OKEN Sca

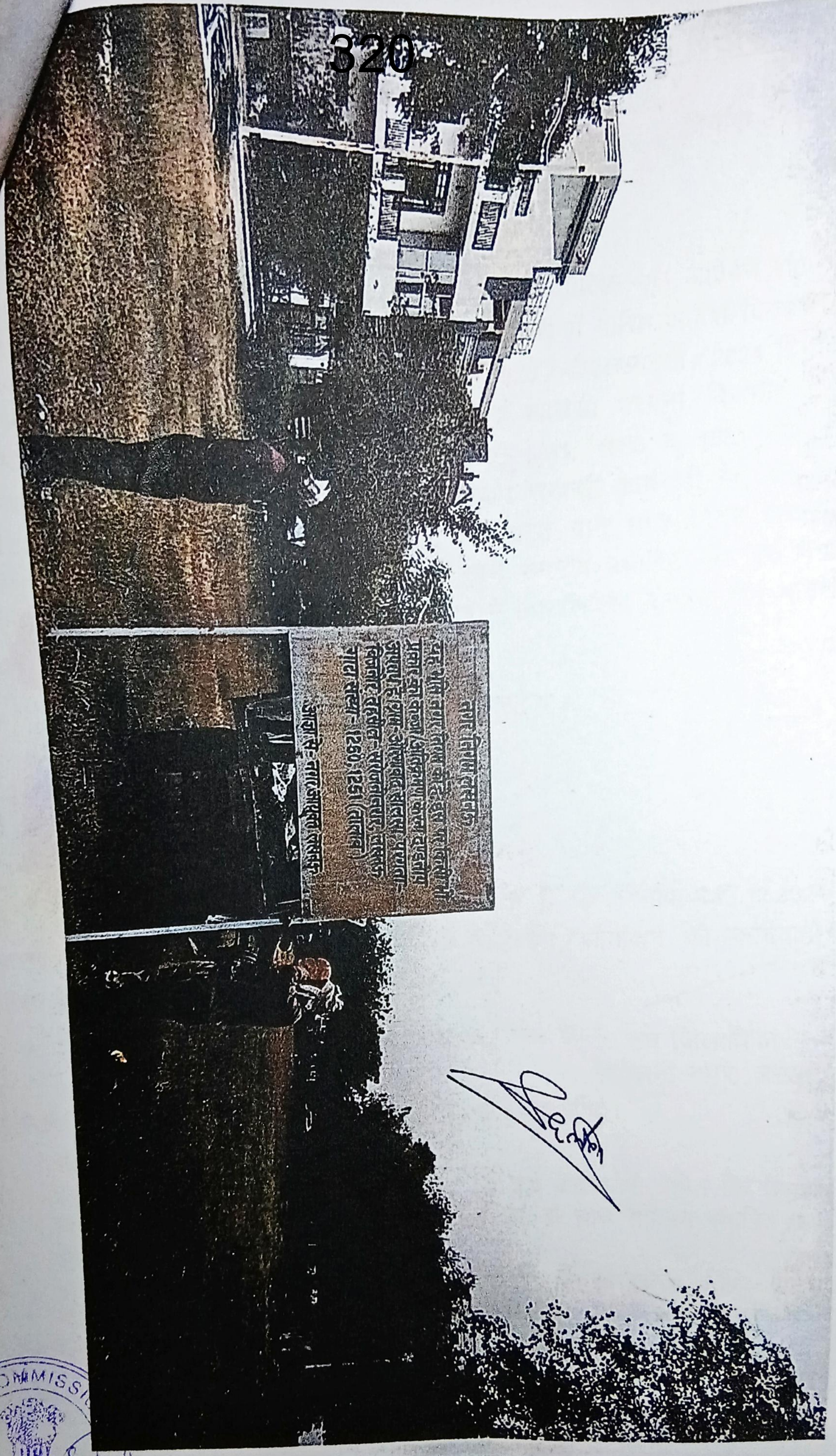

COMMISSIONER
H. ALLAHABAD

Scanned with OKEN

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ

पत्रांकः 1548 / र0का0–पैमा0 / 2024 दिनांक 24.12.2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन सं0 ओ0ए0 836 / 2024 सरिता द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 व कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र सं. 520 / डीएलआरसी / 2024 दिनांक 13 दिसम्बर 2024 के क्रम में राजस्व ग्राम औरंगाबाद खालसा परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ की गाटा सं 1211, 1250, 1251, 1653 व 1681 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब हेतु सूरक्षित दर्ज है, के चिन्हाकंन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है। वादग्रस्त ग्राम नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित होने के कारण नगर निगम टीम के साथ समन्वय स्थापित कर एवं उपरोक्त गाटाओं के चिन्हाकंन हेतु तहसीलदार की अध्यक्षता में निम्नलिखित राजस्व टीम गठित की जाती है। –

1. श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक उतरठिया।
2. श्री सारांश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल।
3. श्री अनुपम बाजपेई, लेखपाल।
4. श्री विवेक बहादुर सिंह, लेखपाल।
5. श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, लेखपाल।

उपरोक्त राजस्व टीम को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.12.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्थल पर पहुँचकर संयुक्त चिन्हांकन / सीमांकन की कार्यवाही कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी
सरोजनी नगर, लखनऊ

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पैमाइश हेतु नियत तिथि पर टीम गठित कर मौके पर राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को सम्पादित करायें।
3. प्रभारी निरीक्षक, थाना बिजनौर, लखनऊ को प्रेषित कि उपरोक्त तिथि को पर्याप्त महिला / पुरुष आरक्षी बंल उपलब्ध कराये, ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित होते हुये कार्य सम्पादित हो सके।
4. सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

24.12.24
उप जिलाधिकारी
सरोजनी नगर, लखनऊ

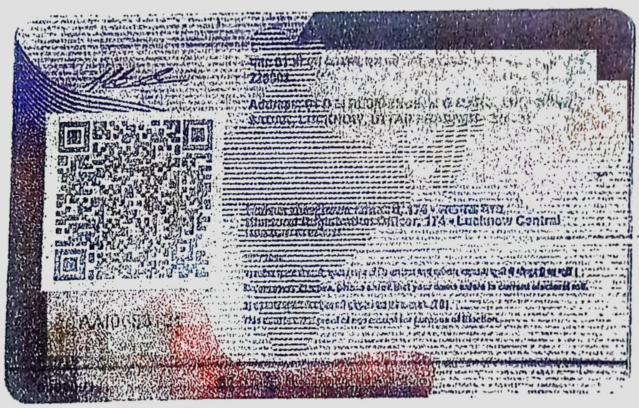

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD